कर्फ्यू के कारण विशेष आकस्मिक अवकाश

आदेश क्रमांक—

9. कर्फ्यू की अवधि हेतु विशेष आकस्मिक अवकाश—राज्य सरकार के आदेश संख्या F-1 (36) FD (Gr-2/89) दिनांक 27.11.90 के अनुसार राज्य के किसी भी स्थान पर पूरे शहर/नगर/कस्बे में या नगर/कस्बे के किसी भाग में अपरिहार्य परिस्थितियोंवश कर्फ्यू लगाया जाता है और इस कारण कर्मचारी अपने मकान से कार्यालय आने में असमर्थ रहता है तो कर्मचारी से यह प्रार्थना पत्र लिया जायेगा कि वह कर्फ्यू के कारण कार्यालय आने में असमर्थ रहा तो अधिकारी इन कारणो की जांच कर उक्त अवधि के अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत कर सकेगा। चाहे कर्मचारी का मकान कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में स्थित हो या कार्यालय स्थित हो या मकान से कार्यालय का मार्ग कर्फ्यूग्रस्त रहा हो।

मामले पर विचार किया गया है और राज्यपाल आदेश देते हैं, कि कर्मचारियों, जो संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रहने तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सके थे या हो सके हैं, की ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन करने पर और उसमें यह कथन करने पर कि वह, उस क्षेत्र में, जहाँ वह निवास करता है या, जहाँ उसका कार्यालय अवस्थित है या उन क्षेत्रों में, जहाँ से कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उसे गुजरना पड़ता है, कर्फ्यू लगा होने के कारण, कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी द्वारा विनियमित किया जा सकेगा।।

---

1. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (1) विवि (ग्रुप-2)/89, दिनांक 30.12.1989 द्वारा जोड़ा गया।
2. वित्त विभाग के आदेश संख्या एफ. 1 (36) विवि (ग्रुप-2)/89. दिनांक 7.12.1989 द्वारा जोड़ा गया।

[राज्य के किसी भी भाग में दंगे हो जाने के कारण जिला प्रशासन को, विधि और व्यवस्था की स्थिति का नियंत्रण करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाना पड़ता है और कर्फ्यू लग जाने के परिणामस्वरूप प्रभावित क्षेत्रों में रुके राज्य कर्मचारी कर्फ्यू जारी रहने तक कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते या उपस्थित होने में समर्थ नहीं होते। ऐसे कर्मचारियों की ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को नियमित करने के लिए कुछ निर्देश वित्त विभाग में लंबित हैं।

इसलिए, मामले पर इसी संख्या के पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 7.12.1989 के प्रति निर्देश से विचार किया गया है और, राज्यपाल आदेश देते हैं कि जब कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो ऐसे कर्मचारियों, जो संबंधित क्षेत्रों में कर्फ्यू होने के दौरान कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सकते या उपस्थित होने में समर्थ नहीं हों, की ड्यूटी से अनुपस्थिति की अवधि को तथ्यों के सत्यापन के अध्यधीन रहते हुए, संबंधित कर्मचारी को उसके द्वारा आवेदन करने पर और उसमें यह कथन करने पर कि वह, उस क्षेत्र में, जहां वह निवास करता है या जहाँ उसका कार्यालय अवस्थित है, या उन क्षेत्रों में, जहाँ से कार्यालय में उपस्थित होने के लिए उसे गुजरना पड़ता है, कर्फ्यू लगा होने के कारण, कार्यालय में उपस्थित नहीं हो सका, विशेष आकस्मिक अवकाश की मंजूरी द्वारा विनियमित किया जा सकेगा। राज्य के किसी भी भाग में अब तक उत्पन्न विगत मामले इस आदेश के अन्तर्गत आयेंगे।]

निरोधावकाश (Quarantine Leave)

- किसी राज्य कर्मचारी के परिवार या घर में किसी को संक्रामक बीमारी हो जाने के फलस्वरूप कर्मचारी को कर्त्तव्य से अनुपस्थिति के लिए आदेश द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है, इसे निरोधावकाश कहते है।
- चिकित्सा अधिकारी के प्रमाण–पत्र के आधार पर स्वीकृत की जाती हैं।
- अवधि 21 दिन, विशेष परिस्थितियों में 30 दिन।
- निरोधावकाश को कार्य से अनुपस्थिति नहीं माना जाता है, उसका वेतन देय होता है।
- प्रमुख रोग जिनमें निरोधावकाश स्वीकृत किया जा सकता है – हैजा, चेचक, प्लेग, डिप्थिरिया, टाइफस बुखार, सेरेब्रोस्पाइनल मेनेनजाइटिस आदि।
- वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश दिनांक 15.10.2012 द्वारा स्वाइन फ्लू (Swine Flu) होने पर (H1N1 वायरस) भी अधिकतम 7 दिवस का निरोधावकाश (Quaratine leave) स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया है।

कोरोना leave की सेवा पुस्तिका में एंट्री की क्या प्रक्रिया रहेगी।

विशेष आकस्मिक अवकाश का कोई अकाउंट नहीं होता। इनको अवकाश वाले पेज पर अलग से एक बॉक्स बना कर लिख देते है।

,श्रीमान जिला कलक्टर ..... के आदेश संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसार ..... क्षेत्र में दिनांक ..... से ..... तक कर्फ्यू लगाया गया था। अपना विद्यालय और/ या ..... निवास स्थान कर्फ्यू ग्रस्त क्षेत्र में था। अत: राज्य सरकार के आदेश संख्या..... दिनांक ... . के अनुसार विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमान चिकित्सा अधिकारी ..... के चिकित्सा प्रमाणपत्र संख्या ..... दिनांक ..... के अनुसार श्री ..... को ..... रोग ग्रस्त होने के कारण दिनांक ..... से ..... तक नीरोधावकाशित किया गया है। अत: राज्य सरकार के आदेश संख्या..... दिनांक ... . के अनुसार ..... दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जाता है।